



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 18 नवम्बर, 2025

कार्तिक 27, 1947 शक सम्बत्

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0

पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ

संख्या 1209/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/26-25/2025

लखनऊ, 18 नवम्बर, 2025

अधिसूचना (संशोधन)

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राज प्रताप सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0 प्र0 आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 913/रा0नि0आ0-3/पं0नि0/26-25/2025, दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 को संशोधन करते हुए एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय-सारिणी के अनुसार वृहद पुनरीक्षण किया जाएगा :-

समय-सारिणी

क्र0सं0	कार्यक्रम	अवधि
1	किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिन्ट करने की कार्यवाही, बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी।	18 जुलाई, 2025 से 18 अगस्त, 2025 तक
2	बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि (1 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाएंगे।)	19 अगस्त, 2025 से 29 सितम्बर, 2025 तक
3	ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि	19 अगस्त, 2025 से 22 सितम्बर, 2025 तक
4	ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि।	23 सितम्बर, 2025 से 29 सितम्बर, 2025 तक

क्र०सं०	कार्यक्रम	अवधि
5	निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि	30 सितम्बर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2025 तक
6	ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही)	14 अक्टूबर, 2025 से 10 दिसम्बर, 2025 तक
7	निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटोप्रतियाँ कराने आदि।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक
8	अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन	23 दिसम्बर, 2025
9	आलेख्य के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण	24 दिसम्बर, 2025 से 30 दिसम्बर, 2025 तक
10	दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना (1 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाएंगे)	24 दिसम्बर, 2025 से 30 दिसम्बर, 2025 तक
11	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	31 दिसम्बर, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक
12	दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि	7 जनवरी, 2026 से 12 जनवरी, 2026 तक
13	दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही।	13 जनवरी, 2026 से 29 जनवरी, 2026 तक
14	पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि।	30 जनवरी, 2026 से 5 फरवरी, 2026 तक
15	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन	6 फरवरी, 2026

2— जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।

3— निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।

आज्ञा से,
राज प्रताप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।